उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

UPSSSC

वन दरोगा

मुख्य परीक्षा

परीक्षा रिफ्रेशर

अध्ययन सामग्री चित्रात्मक फ्लोचार्ट एवं प्रश्नकोष

प्रधान संपादक

आनंद कुमार महाजन

संपादक

अभिषेक सिंह

लेखक

आनंद सोनी, राजकरन पटेल

कम्प्यूटर ग्राफिक्स

बालकृष्ण एवं पंकज कुशवाहा

संपादकीय कार्यालय

यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स

12, चर्च लेन, प्रयागराज-211002

मो. : 9415650134

Email : yctap12@gmail.com

website : www.yctbooks.com

प्रकाशन घोषणा

सम्पादक एवं प्रकाशक आनन्द कुमार महाजन ने ओम साँई ऑफसेट, प्रयागराज से मुद्रित करवाकर, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स, 12, चर्च लेन, प्रयागराज-211002 के लिए प्रकाशित किया।

इस पुस्तक को प्रकाशित करने में सम्पादक एवं प्रकाशक द्वारा पूर्ण सावधानी बरती गई है फिर भी किसी त्रुटि के लिए आपका सहयोग एवं सुझाव सादर अपेक्षित है।

मूल्य : 350/-

किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज होगा।

विषय-सूची

- राष्ट्रीय वन नीति 5-13
- राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना 14-17
- राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार 18-26
- आरक्षित वन एवं संरक्षित वन 27-30
- पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र 31-34
- हाथी और टाइगर रिजर्व 35-42
- इकोसिस्टम, इकोटोन और पर्यावरण पारिस्थितिकी की संतुलन 43-53
- वन संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 54-65
- जलवायु परिवर्तन, जलवायु संरक्षण और COP-27 सम्मेलन 66-78
- कार्बन क्रेडिट 79-84
- मृदा और आर्द्रता संरक्षण 85-97
- वनीकरण एवं कृषि वानिका 98-106
- वन बन्दोबस्त 107-112
- वन भूमि का राजस्व अभिलेखों में नामांतरण 113-116
- वन आपदाओं की चुनौतियाँ एवं रोकथाम 117-125
- वन उपज 126-130
- वन प्रमाणन 131-134
- मानव वन्यजीव संघर्ष 135-138
- वन दरोगा के कर्तव्य एवं अधिकार 139-142
- वृक्षारोपण कार्य योजना 143-151
- वन पर्यावरण और उसके लाभ 152-157
- वन एवं वन्यजीव संरक्षण 158-173
- वन संरक्षण के लिए सरकारी कानून और नीतियाँ 174-183
- भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान 184-191
- वन पारिस्थितिकी 192-198
- भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र 199-208

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC वन दरोगा मुख्य परीक्षा
नवीनतम् पाठ्यक्रम

वन दरोगा की लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम

दिनांकः 28/01/2023

लिखित परीक्षा एक पाली की होगी, जिनमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 तथा समयावधि दो घंटा होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा।

परीक्षा योजना

विषय	प्रश्नों की संख्या	निर्धारित कुल अंक	समयावधि
विषयगत ज्ञान	100	100	120 मिनट

नोट-उपर्युक्त परीक्षा हेतु निगेटिव मार्किंग (ऋणात्मक अंक) दिये जाने का प्राविधान है, जो सही प्रश्न के अंक का 25 प्रतिशत अर्थात् 1/4 होगी।

पाठ्यक्रम

1. National Forest Policy
1. राष्ट्रीय वन नीति
2. National Wild Life Action Plan
2. राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना
3. National Park and Bird Sanctuaries
3. राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार
4. Reserved Forest and Protected Forest
4. आरक्षित वन और संरक्षित वन
5. Eco Sensitive Zone
5. पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र
6. Elephant and Tiger Reserves
6. हाथी और टाइगर रिजर्व
7. Eco-System, Eco-tone and Environmental Ecological Balance
7. इको-सिस्टम, इकोटोन और पर्यावरण पारिस्थितिक संतुलन
8. Forest Conservation Act, Indian Forest Act and Wildlife Protection Act
8. वन संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम
9. Climate Change, Climate Protection and COP-27 Conference
9. जलवायु परिवर्तन, जलवायु संरक्षण और सीओपी-27 सम्मेलन

10. Carbon Credit
10. कार्बन क्रेडिट
11. Soil and Moisture Conservation
11. मृदा और आर्द्रता संरक्षण
12. Afforestation and Agro-forestry
12. वनीकरण और कृषि वानिकी
13. Forest Settlements
13. वन बंदोबस्त
14. Mutation of Forest Land in Revenue records
14. वन भूमि का राजस्व अभिलेखों में नामांतरण
15. Challenges and prevention of forest disasters
15. वन आपदाओं की चुनौतियाँ और रोकथाम
16. Forest produce
16. वन उपज
17. Forest Certification
17. वन प्रमाणन
18. Human Wildlife Conflicts
18. मानव-वन्यजीव संघर्ष
19. Duties and Rights of Forester
19. वन दरोगा के कर्तव्य एवं अधिकार
20. Action Plan for Plantation
20. वृक्षारोपण कार्य योजना
21. Forest Environment and its benefits
21. वन पर्यावरण और उसके लाभ
22. Forest and Wildlife Conservation
22. वन एवं वन्य जीव संरक्षण
23. Government laws and policies for Forest Conservation
23. वन संरक्षण के लिए सरकारी कानून और नीतियां
24. Contribution of Forests in the Indian Economy
24. भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान
25. Forest Ecology
25. वन पारिस्थितिकी
26. Indian Agricultural System and Crop Circles
26. भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र

अध्याय 1

राष्ट्रीय वन नीति

1. वन नीति

भारत में सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने 1894 में एक वन नीति अपनाई।

↓

1952 में ही 1894 की नीति में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए।

↓

तत्पश्चात पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वन नीति 1988 अपनाई गई।

↓

नई राष्ट्रीय वन नीति 2018 वर्ष 1988 में जारी वन नीति का स्थान लेगी।

↓

राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के उद्देश्य

- वनों की उत्पादकता को बढ़ाना
- पर्यावरण स्थायित्व और पारिस्थितिकी संतुलन
- जनजातीय समुदाय के लिए जलावन लकड़ियों और पशुओं के लिए चारे की जरूरतों को पूरा करना
- वनों को संरक्षित कर अपनी प्राकृतिक विरासतों की रक्षा करना

↓

राष्ट्रीय वन नीति, 1952 के उद्देश्य

- मैदानी भागों में 20 प्रतिशत
- पर्वतीय भागों में 60 प्रतिशत
- सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन
- देश के कुल भूमि का एक तिहाई भाग का वनाच्छादन

राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वनों का वर्गीकरण

- संरक्षित वन
- राष्ट्रीय वन
- ग्राम वन
- वृक्ष क्षेत्र

वन नीति की आवश्यकता क्यों

✷ वर्तमान एवं भावी पीढ़ी की पारिस्थितिक व आजीविका संबंधी सुरक्षा के संरक्षण हेतु लाया गया।
✷ कार्बन स्थितिरीकरण और जैव विविधता में वनों का योगदान।

2. वन नीति से संबंधित तथ्य -

महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

⇨पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं द्वारा लोगों की आजीविका में सुधार।
⇨पर्यावरण स्थिरता एवं जैव संरक्षण।
⇨इको टूरिज्म।

↓

वन महोत्सव
1 से 7 जुलाई

↓

अपना वन अपना धन योजना

⇨प्रारंभ हिमाचल प्रदेश
⇨उद्देश्य वनारोपण को बढ़ावा देना

↓

वन अनुसंधान संस्थान

- स्थापना 1906
- अवस्थिति देहरादून (उत्तराखंड)
- उद्देश्य वनों से प्राप्त वस्तुओं के संबंध में अनुसंधान करना एवं वनों के संबंध में शिक्षा देना
- क्षेत्रीय केंद्र बंगलौर, कोयम्बटूर, जबलपुर, बुर्नीहट

↓

सामाजिक वानिकी

⇨सामाजिक वानिकी जनता के सहयोग से देश की हरीतिमा में अभिवृद्धि करने का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।
⇨राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा 1976 में पहली बार 'सामाजिक वानिकी' शब्द का प्रयोग किया गया।

↓

मुख्य बिन्दु

- बंजर भूमि में मिश्रित वृक्षारोपण
- विनष्ट वनों का पुनरुद्धार
- गाँव में मकानों के निर्माण हेतु लकड़ी प्रदान करना
- बाढ़ और मृदा अपरदन का नियंत्रण
- जानवरों को हरा चारा देना

3. राष्ट्रीय वन नीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background of National Forest Policy)

- भारत उन गिने-चुने देशों में से एक है, जिन्होंने अन्य देशों की तुलना में बहुत पहले ही वन नीति बना ली थी।
- 1894 में, भारत में पहली राष्ट्रीय वन नीति-औपनिवेशिक सरकार द्वारा वनों को एक संरक्षक और लकड़ी-उन्मुख तरीके से प्रबंधित करने के लिए अपनाई गई थी।
- स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1952 में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई। स्वतंत्रता के बाद भारत की इस राष्ट्रीय वन नीति ने सिफारिश की कि देश के कुल क्षेत्रफल का 33% भाग वन आच्छादन के अंतर्गत लाया जाना चाहिए।
- 1988 में, नीति को संशोधित किया गया क्योंकि सरकार ने पारिस्थितिक नुकसान, पर्यावरणीय शोषण और जैव विविधता और पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारे कर्तव्य के बारे में अधिक जागरूकता विकसित की।

4. वनों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions related to forests)

वनों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान (Constitutional provisions related to forests)	
अनुच्छेद 48A	राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (DPSP) के तहत अनुच्छेद 48 क (Article 48A) के अनुसार, राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेगा।
अनुच्छेद 51ए जी	मौलिक कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51 ए (जी) के अनुसार, प्रत्येक नागरिक को वनों और वन्यजीवों साहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना चाहिए।
VII अनुसूची	सातवीं अनुसूची के तहत, वन और जंगली जानवरों और पक्षियों के संरक्षण को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। इसलिए, केंद्र और राज्य दोनों वनों से संबंधित मामलों पर कानून बना सकते है।

5. राष्ट्रीय वन नीति 1952

1952 की राष्ट्रीय वन नीति ने यह सुझाव दिया की 60 प्रतिशत पहाड़ी तथा पर्वतीय प्रदेशों में तथा 25 प्रतिशत मैदानों में देश की कुल भौगोलिक प्रदेश का एक तिहाई वन प्रदेश होना चाहिए और यह भी सुझाव दिया की वृक्ष-भूमि का विस्तार नदी/नहर के तटों, सड़कों, रेलवे तथा उन प्रदेशों पर किया जाए जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है।

राष्ट्रीय वन नीति, 1952 ने देश के वनों को चार वर्गों में विभाजित किया-

(i) **सुरक्षित वन (Protected forests)**– यह भौतिक तथा जलवायु की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनिवार्य है।

(ii) **राष्ट्रीय वन (National forrests)**–इसका उपयोग देश के आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है।

(iii) **ग्रामीण वन (Village forest)**–यह गांव तथा निकटवर्ती शहरों के ईंधन की आवश्यकता तथा घरेलू जरूरतों को पूरा करता है।

(iv) **वृक्ष भूमि (Tree lands)**–इस नीति ने वन महोत्सव के वार्षिक आयोजन तथा जूलाई/अगस्त के महीने में वृक्षारोपण सप्ताह के आयोजन पर विचार किया।

5. (i) राष्ट्रीय वन नीति, 1952 के लक्ष्य

(i) इस नीति में नीचे दिए गए उपायो पर बल दिया गया।

(ii) जनजातीय लोगों को स्थानांतरित कृषि छोड़ देने के लिए समझाना।

(iii) वन संसाधन के प्रबंधन के लिए पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराना।

(iv) वन प्रदेशों में मवेशी, भेड़ तथा बकरियो को चरने से रोकना।

(v) ग्रामीण प्रदेशों में ईंधन के लिए लकड़ी प्रदान करना।

(vi) औद्योगिक उद्देशों के लिए इमारती लकड़ियों की उपलब्धता में सुधार लाना।

(vii) सामाजिक वानिकी के अंतर्गत प्रदेश में वृद्धि करना।

(viii) वानिकी में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।

6. राष्ट्रीय वन नीति, 1988 (National Forest Policy, 1988)

भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में से एक है, जिसके पास 1894 से ही अपनी एक सुस्पष्ट वन नीति है। आजादी के तुरंत बाद नीति-निर्माताओं ने यह महसूस किया कि औपनिवेशिक वन नीति तत्कालीन जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है और इसमें परिस्थितियों वन नीति तत्कालीन जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है और इसमें परिस्थितियों के अनुरूप व्यापक संशोधन करने की आवश्यकता है, इसलिये 1952 में ही 1894 की वन नीति में कई महत्त्वपूर्ण संशोधन किये गए ताकि वनों के बेहतर प्रबंधन व संरक्षण से आर्थिक विकास के साथ-साथ स्थानीय जरूरतों की पूर्ति भी होती रहे लेकिन वर्तमान परिस्थितियों पर पुनर्विचार करते हुए वन संरक्षण के लिये एक नई रणनीति अपनाते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वन नीति, 1988 बनाई गई। इस नीति के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का बचाव, देख-रेख, सतत उपयोग, पुनः स्थापना एवं वृद्धि को शामिल किया गया है।

6.(i) राष्ट्रीय वन नीति 1988 के निम्नलिखित उद्देश्य है-

- 'पर्यावरणीय स्थायित्व' और 'पारिस्थितिकीय संतुलन' को बनाए रखना ताकि मानव, पशु और पौधे सभी को जीवन का एक सुनिश्चित आधार प्रदान किया जा सके।
- ग्रामीण और जनजातीय जनसंख्या के लिये लघु वन उत्पादों, जलवान की लकड़ियों और उनके पशुओं के लिये चारे (Fodder) की जरूरतों को पूरा करना।
- प्राकृतिक वनों को संरक्षित कर अपनी प्राकृतिक विरासतों की रक्षा करना।
- सघन वनीकरण कार्यक्रम और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के माध्यम से वास्तविक रूप में वन क्षेत्र का विस्तार करना, खासकर अनुपयोगी और अपरदित भूमि पर।

- वनों की उत्पादकता को बढ़ाना ताकि राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति अबाध रूप से हो सके।
- वन उत्पादों के अनुकूलतम उपयोग को बढ़ावा देना और जहाँ तक संभव हो सके लकड़ी का विकल्प ढूँढ़ना।
- इस वन नीति के अन्य उद्देश्यों में जनसंख्या की बढ़ती हुई ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना, वन्यजीव संरक्षण के प्रति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता, नदी अपवाह क्षेत्रों में मृदा अपरदन और बाढ़ पर प्रभावी नियंत्रण, मरुस्थलीय और तटीय क्षेत्रों में मरुस्थल के विस्तार को रोकना आदि प्रमुख है।
- इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये व्यापक जन आंदोलन और जन-जागरूकता को बढ़ावा देना ताकि वनों के उचित संरक्षण और प्रबंधन में स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त किया जा सके।

इन नीतियों में उल्लेखित उद्देश्यों के क्रियान्वयन के लिये निम्नलिखित रणनीतियाँ अपनाई गई है-

- देश के कुल क्षेत्रफल का कम-से-कम एक-तिहाई क्षेत्रफल वनों व वृक्षों से आच्छादित करने का लक्ष्य होना चाहिये जिसमें पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में यह दो-तिहाई से कम नहीं होना चाहिये।
- ऐसे वन क्षेत्रों के उपयोग को हतोत्साहित करना जिनसे वनों को नुकसान हो।
- वन्यजीव संरक्षण को अत्यधिक महत्त्व देना चाहिये।
- झूम कृषि को हतोत्साहित कर बागानी कृषि को प्रोत्साहित करना चाहिये।
- वनाग्नि और अतिचारण प्रबंधन को विशेष महत्त्व देना चाहिये।
- स्थानीय लोगों के वन अधिकारों और उन्हें मिली छूट के बारे में उन्हें बताना चाहिये और यह संदेश देना चाहिये कि वनों का संरक्षण उनके हित में ही है।
- वन आधारित उद्योगों के लिये कच्चे माल की आपूर्ति जहाँ तक संभव हो सके स्थापित वनों से नहीं करनी चाहिये बल्कि स्थानीय लोगों को जरूरी कच्चे माल को उगाने के लिये आवश्यक प्रोत्साहन और लाभ देना चाहिये।
- वनों के विस्तार, शोध और प्रबंधन पर विशेष बल देना चाहिये।
- इन रणनीतियों को क्रियान्वित करने के लिये व्यापक वित्त पोषण सुनिश्चित करना चाहिये। साथ ही, वनों को राजस्व का स्रोत समझने की बजाय उसे राष्ट्रीय संपदा समझना चाहिये।

इन सबसे अलावा केंद्र और राज्य स्तर पर इन नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये कानून और पर्याप्त आधारभूत संरचना का विकास करना चाहिये। फरवरी 2018 में जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र 24.39 प्रतिशत है।

7. नई राष्ट्रीय वन नीति, 2018 का मसौदा

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मसौदा वन नीति, 2018 जारी की गई। इस नीति को मुख्यतः पुरानी नीतियों में रह गई खामियों और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नए प्रावधानों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ध्यातव्य है कि भारत विश्व में वनों की अत्यधिक विविधता वाले देशों में से एक है और देश का लगभग 22 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है।

7.(i) नई मसौदा नीति की आवश्यकता क्यों ?

- इसे वर्तमान और भावी पीढ़ी की पारिस्थितिक व आजीविका संबंधी सुरक्षा (Ecological and Livelihood Security) के संरक्षण हेतु लाया गया है।
- पारिस्थितिकी सुरक्षा (Eco-Security) के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने के लिये देश के कुल भू-क्षेत्र के कम से कम एक-तिहाई भाग पर वन और वृक्ष आच्छादन की आवश्यकता है।
- देश के करीब 25 करोड़ लोगों को वनों से जलवान लकड़ी, चारा, बाँस जैसे वन उत्पाद की प्राप्ति इनकी आजीविका के प्रमुख स्रोत है। अतः वनों के प्रभावी संरक्षण की सख्त आवश्यकता है।
- बदलते पर्यावरणीय दशाओं को देखते हुए पूर्ववर्ती नीति में बदलाव आवश्यक थे।
- कार्बन स्थिरीकरण और जैव विविधता में वनों का योगदान अति महत्त्वपूर्ण है जो इनके संरक्षण हेतु नीति-निर्माण की महत्ता को दर्शाता है।

7.(ii) मसौदा वन नीति, 2018 के प्रमुख दिशा-निर्देश

- प्राकृतिक वनों के परिरक्षण और संरक्षण के माध्यम से पर्यावरण स्थिरता और जैव विविधता के संरक्षण का रख-रखाव।
- वनों की प्राकृतिक रूपरेखा से समझौता किये बिना इनके क्षरण को रोकना।
- पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं द्वारा लोगों की आजीविका में सुधार करना।
- नदियों के जलभराव क्षेत्रों और आर्द्रभूमि क्षेत्रों में एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन तकनीकों और कार्यों द्वारा अनाच्छादन तथा मृदा वनस्पति की सेहत अच्छी बनी रहे।
- वनरोपण एवं पुनर्वनीकरण (Afforestation & Reforestation) द्वारा देश भर में खासकर सभी अनाच्छादित एवं निम्नीकृत वन भूमियों और वनों के बाहर स्थित भूमियों पर वन/वृक्ष आच्छादन में वृद्धि करना।
- शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में निवासियों की बेहतरी के लिये हरित क्षेत्रों का प्रबंधन और विस्तार करना।

7.(iii) मसौदा नीति की खामियाँ

- नई मसौदा नीति के प्रावधान काफी अस्पष्ट और उलझाऊ है।
- इसमें विकेंद्रीकृत शासन के बारे में बहुत कम जिक्र किया गया हैं तथा 'सामुदायिक भागीदारी' शब्द का बेहद हल्के रूप में प्रयोग किया गया है।
- मसौदा नीति ग्राम सभाओं एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (Joint Forest Management Committees) के बीच 'तालमेल सुनिश्चित करने' की बात करता है, जबकि जेएफएम समितियों को सांविधिक रूप से सशक्त ग्राम सभाओं से प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है।
- मसौदे के अनुसार वनों के संरक्षण और उनमें वृद्धि के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी को लागू करने का प्रस्ताव है, जो बाजारीकरण हेतु संसाधनों के अनुचित दोहन को बढ़ावा दे सकता है।

- इस नीति में उत्पादन वानिकी की मुख्य बल क्षेत्र (Main Thrust Area) के रूप में पहचान की गई है। अतीत में उत्पादन वानिकी ने हिमालय में प्राकृतिक ओक वनों को पाइन मोनोकल्चर से, मध्य भारत में प्राकृतिक साल वनों को सागौन पौधों से और पश्चिमी घाटी में आर्द्र सदाबहार वनों को यूकेलिप्टस व एकेसिया से प्रतिस्थापित कर दिया। इन सबने विविधता को नष्ट किया, जलधाराओं को सुखा दिया और स्थानीय आजीविका को दुर्बल बनाने का काम किया है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी इस तरह के विनाश को और बढ़ावा दे सकती है तथा वनों से उत्पन्न लाभांशों को कॉरपोरेट जगत के हाथों में संकेंद्रित कर सकती है।

8. वन एवं वन्यजीव से संबंधित प्रमुख दिवस

दिन	दिवस
22 मई	अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस
18 अप्रैल	विश्व विरासत दिवस
22 मार्च	विश्व जल दिवस
3 मार्च	विश्व वन्य जीव दिवस
8 जून	विश्व महासागर दिवस
29 जुलाई	अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस
14 फरवरी	राष्ट्रीय बाघ दिवस
16 सितंबर	अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस
9 सितंबर	हिमालय दिवस
4 अक्टूबर	विश्व पशु दिवस
17 जून	विश्व मरुस्थलीकरण निवारण दिवस
1-7 अक्टूबर	वन्य प्राणी सप्ताह

9. वन से संबंधित उद्धरण (Quotes related to Forest)

- 'पृथ्वी हर आदमी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रदान करती है, लेकिन हर आदमी के लालच को नहीं।''
  महात्मा गांधी
- 'प्रकृति में गहराई से देखो, और तब तुम सब कुछ बेहतर समझ पाओगे'। **अल्बर्ट आइंस्टीन**
- 'प्रकृति हमेशा आत्मा के रंग पहनती है।' **राल्फ वाल्डो इमर्सन**
- 'प्रकृति सादगी से प्रसन्न होती है और प्रकृति कोई डमी नहीं है।'
  आइजैक न्यूटन

10. आगे बढ़ने का रास्ता (Way To Forward)

- 1988 की राष्ट्रीय वन नीति की तत्काल समीक्षा की जानी चाहिए ताकि आज के संदर्भ में इसके लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट किया जा सके।
- शर्तों और अवधारणाओं पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए क्योंकि नीति उन अवधारणाओं को नियोजित करती है जिन्हें एक सदी पहले खारिज कर दिया गया था।
- पर्यावरण और वनों के संरक्षण के लिए, अच्छी तरह से एकीकृत और कुशलता से कार्यान्वित पहल आवश्यक है।

वन रिसर्च सेंटर	स्थिति
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी	देहरादून (उत्तराखंड)
भारतीय प्लॉट उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान	बंगलूरू (कर्नाटक)
भारतीय वन प्रबंधन संस्थान	भोपाल (मध्य प्रदेश)
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद	देहरादून (उत्तराखंड)
जी.बी.पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान	अल्मोड़ा (उत्तराखंड)
उष्ण कटिबंधीय वनस्पति और अनुसंधान संस्थान	तिरूवनंतपुरम (केरल)

11. भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2021 के बारे में:

- यह भारत के वन और वृक्ष आवरण का आकलन है। इस रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से 'भारतीय वन सर्वेक्षण' द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
- वर्ष 1987 में पहला सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ था वर्ष 2021 में भारत वन स्थिति रिपोर्ट (India State of Forest Report-ISFR) का यह 17वाँ प्रकाशन है।
- ISFR का उपयोग वन प्रबंधन के साथ-साथ वानिकी और कृषि वानिकी क्षेत्रों में नीतियों के नियोजन एवं निर्माण में किया जाता है।
- वनों की तीन श्रेणियों का सर्वेक्षण किया गया है जिनमें शमिल हैं- अत्यधिक सघन वन (70% से अधिक चंदवा घनत्व), मध्यम सघन वन (40-70%) और खुले वन (10-40%)।
- स्क्रबस (चंदवा घनत्व 10% से कम) का भी सर्वेक्षण किया गया लेकिन उन्हें वनों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया।

भारत में वन क्षेत्र, 2021

		क्षेत्र (km^2)		देश के कुल क्षेत्रफल का %
	वन श्रेणी	2019 ई.	2021 ई.	2021 ई.
1	अति-घने वन	99,278	99,779	3.04
2	मध्यम घने वन	3,08,472	3,06,890	9.33
3	खुले वन	3,04,499	3,07,120	9.34
4	कुल वन क्षेत्र	7,12,249	7,13,789	21.71
5	झाड़ियाँ	46,297	46,539	1.42
6	गैर वन क्षेत्र	25,28,923	25,27,141	76.87

11.(i) ISFR 2021 की विशेषताएँ:

- इसने पहली बार टाइगर रिज़र्व, **टाइगर कॉरिडोर** और गिर के जंगल जिसमें **एशियाई शेर** रहते हैं में वन आवरण का आकलन किया है।
- वर्ष 2011-2021 के मध्य बाघ गलियारों में वन क्षेत्र में 1 वर्ग किमी (0.32%) की वृद्धि हुई है, लेकिन बाघ अभयारण्यों में 22.6 वर्ग किमी (0.04%) की कमी आई है।
- इन 10 वर्षों में 20 बाघ अभयारण्यों में वनावरण में वृद्धि हुई है, साथ ही 32 बाघ अभयारण्यों के वनावरण क्षेत्र में कमी आई।
- **बुक्सा (पश्चिम बंगाल), अनामलाई (तमिलनाडु) और इंद्रावती रिज़र्व (छत्तीसगढ़)** के वन क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है जबकि **कवल (तेलंगाना), भद्रा (कर्नाटक)** और **सुंदरबन रिज़र्व (पश्चिम बंगाल)** में कमी हुई है।

सर्वाधिक वृद्धि वाले 5 राज्य			सर्वाधिक कमी वाले 5 राज्य		
	राज्य	वृद्धि (किमी^{2}में)		राज्य	कमी (किमी^{2}में)
1	आंध्र प्रदेश	647	1	अरुणाचल प्रदेश	257
2	तेलंगाना	632	2	मणिपुर	249
3	ओडिशा	537	3	नागालैंड	235
4	कर्नाटक	155	4	मिजोरम	186
5	झारखंड	110	5	मेघालय	73

- अरुणाचल प्रदेश के **पक्के टाइगर रिज़र्व** में सबसे अधिक लगभग 97% वन आवरण है।

क्षेत्र में वृद्धिः

- पिछले दो वर्षों में 1,540 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त कवर के साथ देश में वन और वृक्षों के आवरण में वृद्धि जारी है।
- भारत का वन क्षेत्र अब 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का **21.71%** है जो वर्ष 2019 में 21.67% से अधिक है।
- वृक्षों के आवरण में 721 वर्ग किमी. की वृद्धि हुई है।

वनों में वृद्धि/कमीः

- वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में **तेलंगाना (3.07%), आंध्र प्रदेश (2.22%) और ओडिशा (1.04%)** हैं।
- वनावरण में सबसे अधिक कमी पूर्वोत्तर के पाँच राज्यों- **अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम और नागालैंड** में हुई है।

उच्चतम वन क्षेत्र/आच्छादन वाले राज्यः

- **क्षेत्रफल की दृष्टि सेः** मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र हैं।

सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य			
	राज्य	वनावरण (km^2)	क्षे. का %
1	मध्य प्रदेश	77,492.60	25.14
2	अरुणाचल प्र.	66,430.67	79.33
3	छत्तीसगढ़	55,716.60	41.21
4	ओडिशा	52,155.95	33.50
5	महाराष्ट्र	50,797.76	16.51

न्यूनतम वनावरण वाले 6 राज्य			
	राज्य	वनावरण (km^2)	क्षे. का %
1	हरियाणा	1603	3.63
2	पंजाब	1847	3.67
3	गोवा	2244	60.62
4	सिक्किम	3341	47.08
5	बिहार	7381	7.84
6	त्रिपुरा	7722	73.64

- कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष पाँच राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैण्ड।

सर्वाधिक वनावरण % वाले 5 राज्य			
	राज्य	वनावरण (km^2)	क्षे. का %
1	मिजोरम	17,820	84.53
2	अरुणाचल प्र.	66,431	79.33
3	मेघालय	17,046	76.00
4	मणिपुर	16,598	74.34
5	नागालैंड	12,251	73.90

न्यूनतम वनावरण % वाले 6 राज्य			
	राज्य	वनावरण (km^2)	क्षे. का %
1	हरियाणा	1603	3.63
2	पंजाब	1847	3.67
3	राजस्थान	16655	4.87
4	उत्तर प्रदेश	14818	6.15
5	घुजरात	14926	7.61
6	बिहार	7381	7.84

- शब्द **'वन क्षेत्र'** '(**Forest Area**) सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार **वन क्षेत्र** की स्थिति को दर्शाता है,

मैंग्रोवः

- मैंग्रोवः में 17 वर्ग किमी. की वृद्धि देखी गई है। भारत का कुल मैंग्रोव आवरण अब 4,992 वर्ग किमी. हो गया है।

विभिन्न प्रदेशों में मैंग्रोव कवर, 2021			
	प्रदेश	कुल मैंग्रोव कवर (km^2)	कुल मैग्रोव कवर का %
1	पश्चिम बगांल	2,114	42.33
2	गुजरात	1,175	23.54
3	अंडमान निकोबार	616	12.34
4	आन्ध्र प्रदेश	405	8.11
5	महाराष्ट्र	324	6.49
6	ओडिशा	259	5.19
7	तमिलनाडु	45	0.90
8	गोवा	27	0.54
9	कर्नाटक	13	0.26
10	केरल	9	0.20
11	दमन & दीव	3	0.06
12	पुदुचेरी	2	0.04

जंगल में आग लगने की आशंका:

- 35.46% वन क्षेत्र जंगल की आग से ग्रस्त है। इसमें से 2.81% **अत्यंत अग्नि प्रवण** है, 7.85% **अति उच्च अग्नि प्रवण** है और 11.51% **उच्च अग्नि प्रवण** है।
- वर्ष 2030 तक भारत में 45-64% वन **जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान से** प्रभावित होंगे।
- सभी राज्यों (असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैण्ड को छोड़कर) में वन अत्यधिक संवेदनशील जलवायु वाले हॉटस्पॉट होंगे। लद्दाख (वनावरण 0.1-0.2%) के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है।

कुल कार्बन स्टॉक:

- देश के जंगलों में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है, जिसमें वर्ष 2019 से 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है।
- वन कार्बन स्टॉक का आशय कार्बन की ऐसी मात्रा से है जिसे वातावरण से अलग किया गया है और अब वन पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर संग्रहीत किया जाता है, मुख्य रूप से जीवित बायोमास और मिट्टी के भीतर और कुछ हद तक लकड़ी और अपशिष्ट में भी।

बाँस के वन:

- वर्ष 2019 में वनों में मौजूद बाँस की संख्या 13,882 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2021 में 53,336 मिलियन हो गई है।

चिंताएँ

- **प्राकृतिक वनों में गिरावट:**
- मध्यम घने जंगलों या 'प्राकृतिक वन' में 1,582 वर्ग किलोमीटर की गिरावट आई है।
- यह गिरावट खुले वन क्षेत्रों में 2,621 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि के साथ-साथ देश में वनों के क्षरण को दर्शाती है।
- साथ ही झाड़ी क्षेत्र में 5,320 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो इस क्षेत्र में वनों के पूर्ण क्षरण को दर्शाता है।

बहुत घने जंगलों में 501 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के वन आवरण में गिरावट:

पूर्वोत्तर क्षेत्र में वन आवरण में कुल मिलाकर 1,020 वर्ग किलोमीटर की गिरावट देखी गई है।

- पूर्वोत्तर राज्यों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.98% हिस्सा है लेकिन कुल वन क्षेत्र का 23.75% हिस्सा है।
- पूर्वोत्तर राज्यों में गिरावट का कारण क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं, विशेष रूप से भूस्खलन और भारी बारिश के साथ-साथ मानवजनित गतिविधियों जैसे कि कृषि को स्थानांतरित करना, विकासात्मक गतिविधियों का दबाव और पेड़ों की कटाई को उत्तरदायी ठहराया गया है।

12. हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन:

- यह **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना** (NAPCC) के तहत आठ मिशनों में से एक है।
- इसे फरवरी 2014 में देश के जैविक संसाधनों और संबंधित आजीविका को प्रतिकूल जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाने तथा पारिस्थितिक स्थिरता, जैव विविधता संरक्षण और भोजन-पानी एवं आजीविका पर वानिकी के महत्त्वपूर्ण प्रभाव को पहचानने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

13. राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (NAP):

- इसे निम्नीकृत वन भूमि के वनीकरण के लिये वर्ष 2000 से लागू किया गया है।
- इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

14. क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA Funds):

- इसे 2016 में लॉन्च किया गया था, इसके फंड का 90% राज्यों को दिया जान है, जबकि 10% केंद्र द्वारा बनाए रखा जाता है।
- धन का उपयोग जलग्रहण क्षेत्रों के उपचार, प्राकृतिक उत्पादन, वन प्रबंधन, वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन, संरक्षित क्षेत्रों व गांवों के पुनर्वास, मानव-वन्यजीव संघर्षों को रोकने, प्रशिक्षण एवं जागरूकता पैदा करने, काष्ठ सुरक्षा वाले उपकरणों की आपूर्ति तथा संबद्ध गतिविधियों के लिये किया जा सकता है।

15. नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेज़र्टिफिकेशन

- इसे 2001 में **मरुस्थलीकरण** से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिये तैयार किया गया था।
- इसे पर्यावरण,वन और जलवायु परिवत्रन मंत्रालय (MOEFCC) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

वन अग्नि निवारण और प्रबंधन योजना (एफएफपीएम):

- यह केंद्र द्वारा वित्तपोषित एकमात्र कार्यक्रम है जो विशेष रूप से जंगल की आग से निपटने में राज्यों की सहायता के लिये समर्पित है।

विभिन्न केन्द्र शासित प्रदेशों में वन क्षेत्र, 2021					
	प्रदेश	क्षेत्रफल (km^2)	कुल वन (km^2)	क्षेत्रफल का % वन	2019 की तुलना में परिवर्तन (km^2)
1	लद्दाख	1,68,055	2,272	1.35	18
2	जम्मू-कश्मीर	54,624	21,387	39.15	29
3	अंडमान निकोबार	8,249	6,744	81.75	1
4	दिल्ली	602	195	13.15	0.44
5	दादर & नागर हवेली व दमन & दीव	490	227.75	37.83	0.10
6	पुदुचेरी	114	53.30	10.88	0.89
7	चंडीगढ़	30	22.88	20.07	0.85
8	लक्षद्वीप		27.10	90.33	0

कुछ प्रमुख राज्यों में वन क्षेत्र, 2021					
	राज्य	क्षेत्रफल (km^2)	कुल वन (km^2)	क्षेत्रफल का % वन	2019 की तुलना में परिवर्तन (km^2)
1	उत्तर प्रदेश	2,40,928	14,818	6.15	12
2	मध्य प्रदेश	3,08,252	77,493	25.14	11
3	बिहार	94,163	7,381	7.84	75
4	झारखण्ड	79,716	23,721	29.76	110
5	राजस्थान	3,42,239	16,655	4.87	25
6	छत्तीसगढ़	1,35,192	55,717	41.21	106

वनों से संबंधित संगठन

सरकार ने वन नीति के अंतर्गत वन विकास हेतु निम्नलिखित कार्य किये हैं-

(i) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय–इसका गठन 17 सितम्बर, 1985 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी के विशेष प्रयास द्वारा किया गया।

- यह मंत्रालय पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण एवं वन क्षेत्र का विकास करता है।

(ii) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण–इसका गठन वर्ष 1890 में किया गया। पुनः 1954 में इसका गुनर्गठन किया गया।

- इसका मुख्यालय कोलकाता में है।
- यह पादप संसाधनों पर वर्गिकी और वानस्पतिक अध्ययन करने वाला देश का शीर्ष संगठन है।
- यह सर्वेक्षण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्रयोगशाला की स्थापना दिसम्बर 1957 में लखनऊ में की गयी।
- भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के चार क्षेत्र हैं -

(क) **पूर्वी क्षेत्र**–इसकी स्थापना 1 अप्रैल, 1956 में की गयी, मुख्यालय शिलांग में है।

(ख) **पश्चिमी क्षेत्र**–इसकी स्थापना 12 दिसम्बर, 1955 को की गयी, इसका मुख्यालय पुणे में है।

(ग) **उत्तरी क्षेत्र**–इसकी स्थापना 1 अगस्त, 1956 को की गयी, इसका मुख्यालय कोयम्बटूर में है।

(घ) **दक्षिणी क्षेत्र**–इसकी स्थापना 10 अक्टूबर, 1955 को की गयी, इसका मुख्यालय कोयम्बटूर में है।

(iii) भारतीय वन सर्वेक्षण–इसका गठन 1 जुलाई, 1981 को किया गया। इसका मुख्यालय देहरादून में है।

- इसके क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, बंगलुरु, नागपुर और कोलकाता में स्थित है।
- यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन काम करता है।
- इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय है-

(i) पूर्वी क्षेत्र जिसका मुख्यालय कोलकाता है।

(ii) मध्य क्षेत्र जिसका मुख्यालय नागपुर में है।

(iii) उत्तरी क्षेत्र जिसका मुख्यालय शिमला है। दक्षिणी क्षेत्र जिसका मुख्यालय बंगलुरू है।

(iv) भारत वन स्थिति रिपोर्ट–यह रिपोर्ट रिमोट सेंसिंग आधारित उपग्रह चित्रण के माध्यम से तैयार की जाती है।

(v) भारतीय प्राणी सर्वेक्षण–इसका गठन 1 जुलाई, 1916 को किया गया। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। यह पशु विविधता के सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्य करता है। इसके 16 क्षेत्रीय केंद्र है।

(vi) भारतीय वन प्रबन्धन संस्थान–इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। यह एशिया का पहला संस्थान है जो अनुसंधान एवं केस स्टडी के आधार पर पढ़ाता है। यह संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में है।

(vii) भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्–इसकी स्थापना वर्ष 1987 में की गयी। इस अनुसंधान परिषद् के अंतर्गत निम्नलिखित केंद्र है-

- सामाजिक वानिकी एवं पारिस्थितिकी पुनर्वासन केंद्र प्रयागराज।
- वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास केंद्र छिंद्रवाड़ा।

(viii) राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो–इसका गठन 1976 में किया गया और मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय है।

अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर श्रृंखला

1. **भारत में प्रथम वन नीति कब अपनाई गई।**
   (a) 1950 (b) 1894
   (c) 1947 (d) 1882

Ans. (b) : भारत में प्रथम वन नीति ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा 1894 में अपनाई गई। भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में सम्मिलित है जिसके पास 1894 से ही अपनी एक सुस्पष्ट वन नीति हैं

2. **स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब लाई गई?**
   (a) 1947 (b) 1988
   (c) 1952 (d) 1954

Ans. (c) : स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति, 1952 में लाई गई। इस नीति में 1894 की वन नीति के प्रमुख खंडों को बनाए रखा एवं स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय हित के आधार पर नए उद्देश्य जोड़े गए।

3. **राष्ट्रीय वन नीति, 1952 के अनुसार भारत की कुल भूमि का कितने प्रतिशत भाग को वनों से आच्छादित करने का लक्ष्य है?**
   (a) 33% (b) 65%
   (c) 25% (d) 20%

Ans. (a) : राष्ट्रीय वन नीति, 1952 के अनुसार भारत की कुल भूमि क्षेत्र का एक तिहाई (33%) क्षेत्र वनों से आच्छादित करने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय वन नीति वन भूमि के इष्टतम उपयोग पर बल देती है।

4. **राष्ट्रीय वन नीति, 1952 के तहत निम्न कथनों पर विचार करें-**
   (I) इस नीति के तहत वनों को संरक्षण वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन एवं ट्रीलैंड्स में वर्गीकृत किया गया
   (II) इस नीति के तहत वनों को राजकीय वन, सामुदायिक वन और निजी वन में वर्गीकृत किया गया।
   (a) केवल I सत्य (b) केवल II सत्य
   (c) I एवं II दोनों सत्य (d) कोई कथन सत्य नहीं

Ans. (a) : राष्ट्रीय वन नीति, 1952 ने कार्यात्मक रूप से वनों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, जो इस प्रकार हैं-
(1) संरक्षण वन
(2) राष्ट्रीय वन
(3) ग्राम वन
(4) ट्रीलैंड्स।

5. **भारत के संविधान में वनों को उनके स्वामित्व, प्रशासन एवं प्रबंधन की दृष्टि से कितने वर्गों में बाँटा गया है?**
   (a) चार (b) दो
   (c) तीन (d) एक

Ans. (c) : भारत के संविधान में वनों को उनके स्वामित्व, प्रशासन एवं प्रबंधन की दृष्टि से तीन वर्गों में बाँटा गया है, जो इस प्रकार हैं- (1) राजकीय वन (2) सामुदायिक वन (3) निजी वन

6. **निम्नलिखित सूची I एवं सूची II को सही सुमेलित कीजिए।**

सूची I		सूची II	
(A)	राजकीय वन	1.	इन वनों का प्रशासन स्थानीय निकायों के अधीन होता है।
(B)	सामुदायिक वन	2.	इन पर पूर्णतः राज्य/केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है।
(C)	निजी वन	3.	ये वन व्यक्तिगत लोगों के अधिकार में होते हैं।

	A	B	C
(a)	1	2	3
(b)	2	1	3
(c)	3	2	1
(d)	2	3	1

Ans. (b) :

(A)	राजकीय वन	1.	इन पर पूर्णतः राज्य/केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है।
(B)	सामुदायिक वन	2.	इन वनों का प्रशासन स्थानीय निकायों के अधीन होता है।
(C)	निजी वन	3.	ये वन व्यक्तिगत लोगों के अधिकार में होते हैं।

अतः विकल्प (b) सही सुमेलित है।

7. **भारत के संविधान में वनों को स्वामित्व, प्रशासन एवं प्रबंधन की दृष्टि से वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है?**
   (a) राजकीय वन (b) सामुदायिक वन
   (c) निजी वन (d) संरक्षित वन

Ans. (d) : संविधान में वनों को राजकीय वन, सामुदायिक वन एवं संरक्षित वनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वहीं ब्रिटिश शासनकाल में भारत के वनों को सुरक्षित वन, संरक्षित वन तथा अवर्गीकृत वन के रूप में बांटा गया था।

8. **राष्ट्रीय वन नीति, 1952 के तहत वनों के कार्यात्मक वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है?**
   (a) संरक्षण वन (b) राष्ट्रीय वन
   (c) ट्रीलैंड्स (d) निजी वन

Ans. (d) : राष्ट्रीय वन नीति, 1952 के तहत वनों के कार्यात्मक वर्गीकरण में संरक्षण वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन एवं ट्रीलैंड्स सम्मिलित हैं, जबकि निजी वन इस वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है।

9. राष्ट्रीय वन नीति, 1952 के उद्देश्यों में शामिल नहीं है-

(a) जनजातियों के द्वारा की जाने वाली झूमिंग कृषि को प्रतिबंधित करना।
(b) जनजातियों को समझा-बुझाकर झूमिंग कृषि से धीरे-धीरे अलग करना।
(c) वन संसाधनों के प्रबंधन हेतु पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करना।
(d) वनों में पशुचारण को नियंत्रित किया जाना।

Ans. (a) : राष्ट्रीय वन नीति, 1952 के प्रमुख उद्देश्यों के तहत जनजातियों को समझा-बुझाकर उन्हें मुख्य धारा में लाकर धीरे-धीरे झूमिंग कृषि से अलग किया जाएगा न कि झूमिंग कृषि को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाएगा। अतः कथन (a) गलत है। साथ ही वन संसाधनों के प्रबंधन हेतु पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करना एवं वनों में पशुचारण को नियंत्रित करना भी इस नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं।

10. राष्ट्रीय वन नीति, 1952 के तहत पर्वतीय भागों में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वनों का विस्तार आवश्यक माना गया?

(a) 50% (b) 33%
(c) 25% (d) 60%

Ans. (d) : राष्ट्रीय वन नीति, 1952 के तहत पर्वतीय भागों में 60% भौगोलिक क्षेत्र पर वनों का विस्तार आवश्यक माना गया है जिससे पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखकर पर्यावरण स्थिरता को बनाये रखा जा सके।

11. राष्ट्रीय वन नीति, 1952 के तहत मैदानी भागों के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र को वनों से आच्छादित करने का लक्ष्य है?

(a) 33% (b) 60%
(c) 20% (d) 15%

Ans. (c) : राष्ट्रीय वन नीति, 1952 के तहत मैदानी भागों के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 20% भाग को वनों से आच्छादित करने का लक्ष्य है। साथ ही इसमें नदियों के किनारे एवं कृषि के अनुपयुक्त भूमि पर वृक्षारोपण का सुझाव दिया गया है।

12. निम्नलिखित कथनों में कौन सा राष्ट्रीय वन नीति के प्रमुख उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है-

(a) मानव निर्मित वनों के क्षेत्र में वृद्धि की जाए।
(b) औद्योगिक उपयोग हेतु वाणिज्यिक लकड़ी की उपलब्धता में सुधार की जाए।
(c) वानिकी में शोध को प्रोत्साहन दिया जाए।
(d) पारिस्थितिकीय संतुलन पर ध्यान न दिया जाए।

Ans. (d) : राष्ट्रीय वन नीति में मानव निर्मित वनों के क्षेत्र में वृद्धि, औद्योगिक उपयोग हेतु वाणिज्यिक लकड़ी की उपलब्धता में सुधार तथा वानिकी में शोध कार्य को प्रोत्साहन जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों को सम्मिलित किया गया है ताकि पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखा जा सके। अतः विकल्प (d) सम्मिलित नहीं है।

13. निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय वन नीति नहीं है?

(a) राष्ट्रीय वन नीति, 1952
(b) राष्ट्रीय वन नीति, 1894
(c) राष्ट्रीय वन नीति, 1988
(d) राष्ट्रीय वन नीति, 1892

Ans. (d) : भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में से एक है, जिसके पास 1892 से ही राष्ट्रीय वन नीति है। उपर्युक्त विकल्पों में राष्ट्रीय वन नीति, 1892 में नहीं है, शेष सभी विकल्प सही है।

14. राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को सम्मिलित नहीं किया गया है?

(a) प्राकृतिक पर्यावरण का बचाव
(b) पर्यावरण की देख-रेख
(c) ग्रामसभा की जमीन पर पेड़ लगाना
(d) वनोन्मूलन पर ध्यान नहीं

Ans. (d) : राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का बचाव, पर्यावरण की देख-रेख तथा सामाजिक वानिकी के तहत ग्राम सभा की जमीन पर पेड़ लगाना एवं वनोन्मूलन पर रोकथाम जैसे मुख्य उद्देश्यों को सम्मिलित किया गया है। अतः विकल्प (d) सम्मिलित नहीं है।

15. राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान (NEERI) कहाँ स्थित है?

(a) नागपुर (b) देहरादून
(c) दिल्ली (d) जयपुर

Ans. (a) : राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान (NEERI) नागपुर में स्थित है। इसका उद्देश्य पर्यावरण और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान करना है।

16. भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?

(a) नागपुर (b) नई दिल्ली
(c) देहरादून (d) भोपाल

Ans. (c) : भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। वहीं राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है।

17. पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए न्यूनतम वनावरण कितने प्रतिशत अनिवार्य है?

(a) 75% (b) 15%
(c) 33% (d) 45%

Ans. (c) : पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए न्यूनतम वनावरण 33% अनिवार्य है, जो राष्ट्रीय वन नीति का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। वहीं पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम वनावरण का लक्ष्य 75% रखा गया है।

18. राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के तहत निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है-

(a) वनाग्नि एवं अतिचारण प्रबंधन पर विशेष महत्व देना चाहिए।
(b) वनों के विस्तार पर जोर।
(c) वनों की उत्पादकता को बढ़ाना।
(d) शोध और प्रबंधन पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

Ans. (d) : राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के तहत वनाग्नि एवं अतिचारण प्रबंधन एवं वनों के विस्तार तथा शोध एवं प्रबंधन को बढ़ावा देकर वनों की उत्पादकता को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। अतः विकल्प (d) सही नहीं है।

अध्याय 2 राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना

1. राष्ट्रीय वन्यजीव कार्यवाही योजना (National Wildlife Action Plan)

भारतीय वन्यजीव बोर्ड ने वर्ष 1983 में आयोजित अपनी 15वीं बैठक में राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना तैयार करने का निर्णय लिया और 2001 तक लागू किया गया। इसके बाद, दूसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002 से 2016 की अवधि के लिए थी। वर्तमान में 2017 से 2031 की अवधि के लिए तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना चल रही है।

- प्रथम राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना 1983 में अपनाई गई थी। इसमें वन्यजीव संरक्षण के लिए जिस रणनीति और कार्ययोजना को अपनाया गया वह आज भी प्रासंगिक है।
- हालाँकि समय के साथ कुछ नयी समस्याएं उभरीं और कुछ पूर्ववत् समस्याएं और गंभीर हो गई, जैसे - प्राकृतिक संसाधनों का व्यावसायिक उपयोग, मानव एवं पशु जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी, उपभोग की, प्रकृति में बदलाव, जैव विधिवता के संरक्षण सम्बन्धी समस्या इत्यादि। इससे कार्ययोजना की प्राथमिकताओं में परिवर्तन की जरूरत महसूस हुई ।
- अतः प्रथम राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना को संशोधित किया गया और द्वितीय कार्ययोजना (2002 - 16) अपनाई गयी।

(A) प्रमुख तथ्य -

- तृतीय कार्ययोजना की अवधि वर्ष 2017 से 20131 तक है। इस कार्यक्रम में पहली बार जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से संबंधित चिताओं को मान्यता दी गयी है।
- इस योजना का विमोचन फरवरी 2016 में किया गया।

(B) मुख्य रणनीति -

- वन्यजीव क्षेत्र में वित्त आवंटन में वृद्धि।
- घरेलू कानून एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन में भागीदारी बढ़ाना।
- राष्ट्रीय वन्यजीव कार्यक्रम को अन्य क्षेत्रों के कार्यक्रमों के साथ एकीकृत करना।
- पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2 अक्टूबर, 2017 को राष्ट्रीय वन्यजीवं कार्ययोजना की शुरुआत की ।
- वन्यजीव एवं वनस्पति की प्रजातियों के अवैध व्यापार अवैध शिकार एवं चमड़े की मांग को नियंत्रित करना।
- संरक्षण सम्बन्धी जागरूकता एवं शिक्षा को बढ़ावा देकर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

नोट - केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने 2017-2031 के लिए तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना जारी की है, जिसमें वन्यजीव संरक्षण के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार की गई है। NWAP पांच भागों, 17 विषयों, 103 संरक्षण कार्यों और 250 परियोजनाओं से बना है। इस योजना के प्राथमिक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में वन्यजीव योजना में जलवायु परिवर्तन एकीकरण, तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण, मानव-वन्यजीव संघर्ष में कमी, और वन्यजीव स्वास्थ्य पर ध्यान देना शामिल है। यह योजना वन्यजीव सरंक्षण को विकास योजना प्रक्रियाओं में एकीकृत करने में मदद करेगी।

2. राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना - II

वर्ष 2001 आते-2 परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण एक नई वन्य जीव कार्ययोजना (2002-16) लाई गई। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न है-

- संरक्षित क्षेत्रों में प्रभावी प्रबंधन तथा इसका नेटवर्क बढ़ाना।
- संकटग्रस्त प्रजातियों एवं उनके आवासों को संरक्षित करना।
- अवैध शिकार एंव व्यापार को नियंत्रित करना।
- लोगों की भागीदार, संरक्षण में सुनिश्चित करना एवं वन्य जीव पर्यटन को बढ़ानां
- अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से वन्यजीवों की रक्षा करना एवं वन्यक्षेत्रों में वित्त प्रवाह को बढ़ाना।
- क्षेत्रीय सहयोगी कार्यक्रम शामिल करना।

3. तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2017 - 2031)

- एमओईएफसीसी के पूर्व सचिव जेसी कला के नेतृत्व में 12 सदस्यीय समिति ने तीसरी वन्यजीव कार्य योजना का मसौदा तैयार किया।

- योजना में संरक्षित क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए विस्तृत सिफारिशें शामिल है।
- तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना में उल्लेखनीय है कि यह पहली बार है जब भारत ने वन्यजीवों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बार में चिंताओं को स्वीकार किया है और वन्यजीव प्रबंधन योजना प्रक्रियाओं में शमन और अनुकूलन के लिए आवश्यक गतिविधियों को शामिल करने के महत्व पर बल दिया है।
- कार्य योजना भारत में एकीकृत तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर देती है।
- कार्य योजना में 103 संरक्षण गतिविधियों और 250 पहले पाँच विषयों के आसपास आयोजित की गई है।
- तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के साथ, तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने वर्षगाठ मनाने के लिए भारत वन्यजीव मोबाइल ऐप की शुरुआत की ।

3.(i) तीसरी वन्यजीव कार्य योजना - घटक

- राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के पांच घटक है।
- एकीकृत वन्य जीवन और आवास प्रबंधन को सुदृढ़ करना और बढ़ावा देना।
- जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और भारत में जलीय जैव विविधता के एकीकृत स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा देना।
- इकोटूरिज्म, प्रकृति शिक्षा और भागीदारी प्रबंधन सभी को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- वन्यजीव अनुसंधान को मजबूत करना और वन्यजीव संरक्षण में मानव संसाधन विकास की निगरानी करना।
- भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए नीतियों और संसाधनों को सक्षम बनाना।

4. राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना - मुख्य विशेषताएं

- यह पहली बार है जब वन्यजीव कार्य योजना ने वन्यजीवों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को स्वीकार किया है।
- योजना वन्यजीव प्रबंधन योजना में जलवायु परिवर्तन शमन उपायों को शामिल करने पर केंद्रित है।
- चूंकि जलवायु परिवर्तन कुछ वनस्पतियों के विलुप्त होने का कारण बना है, यह पारिस्थितिक ढाल के साथ रोपण और वन्यजीव प्रवासन की सहायता करने का सुझाव देता है।
- विशेष रूप से तटीय, समुद्री और अंतर्देशीय जलीय पारिस्थितिक तंत्र में निवास स्थान के संरक्षण के साथ-साथ संकटग्रस्त प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति पर भी जोर दिया गया है।
- यह योजना पशु-मानव संघर्ष और वन्यजीव आवासों पर इसके प्रभावों जैसे सिकुड़न, गिरावट और विखंडन पर चर्चा करती है।
- योजना लोगों के लिए संरक्षण, पारिस्थितिकी विकास, शिक्षा, प्रशिक्षण और आउटरीच कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता को प्रोत्साहित करती है, इस संबंध में लोगों की भागीदारी के महत्व पर जोर देती है।
- यह भी सुझाव देती है कि निजी क्षेत्र वन्यजीव संरक्षण की प्रक्रिया में भाग लेते है।
- यह योजना इस आधार पर आधारित है कि पारिस्थितिक तंत्र नियंत्रित या दृढ़ता से नियंत्रित पारिस्थितिक प्रक्रियाएं खाद्य उत्पादन, स्वास्थ्य और मानव अस्तित्व और सतत विकास के अन्य पहलुओं के लिए महत्वपूर्ण है।
- यह प्रकृति और उसके विभिन्न घटकों के आंतरिक मूल्य पर भी प्रकाश डालता है। इन पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण, जिसे 'लाइफ सपोर्ट सिस्टम' के रूप में जाना जाता है, को सभी समाजों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है भले ही उनके विकास का चरण कुछ भी हो।
- यह प्रकृति संरक्षण के दो अन्य पहलुओं पर भी जोर देता है। आनुवंशिक विविधता का संरक्षण और प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्र का सतत उपयोग दोनों का हमारी वैज्ञानिक प्रगति और लाखों ग्रामीण समुदायों के समर्थन पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
- यह योजना वन्यजीव संरक्षण के लिए सार्वजनिक समर्थन की बढ़ती आवश्यकता पर जोर देती है और इसके लिए पर्यावरण - विकास, शिक्षा, नवाचार, प्रशिक्षण, विस्तार, संरक्षण जागरूकता में निवेश में वृद्धि के साथ 'कोर - बफर - मल्टी यूज सराउंड' संरचना को मजबूत करने की सिफारिश करती है।
- प्लेबैक मैकेनिज्म, मानव संसाधन विकास और कर्मचारी कल्याण सहित वन्यजीव क्षेत्रों में पर्यटन प्रबंधन को योजना में फिर से उन्मुख किया गया है।
- यह योजना संसाधनों की कमी और प्राकृतिक बायोमास संसाधनों पर निर्भरता के बावजूद, वन भूमि और अन्य जंगल क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के लिए वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यवहार करने का आह्वान करती है।

5. निष्कर्ष

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा प्रकाशित 2017-2031 के लिए तीसरी वन्यजीव कार्य योजना, वन्यजीव संरक्षण को आगे ले जाने की दिशा की रूपरेखा तैयार करती है। संरक्षित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके, वन्यजीव कार्य योजनाओं का उद्देश्य भारत में वन्यजीवों का संरक्षण और सुरक्षा करना है। संरक्षित क्षेत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र है जो कानूनी और अन्य प्रक्रियाओं द्वारा प्राकृतिक दुनिया और उस पारिस्थितिकी तंत्र के दीर्घकालिक संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए घोषित किए जाते हैं जिसका यह एक हिस्सा है।

अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर शृंखला

1. प्रथम राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना का ड्राफ्ट कब तैयार किया गया?

(a) 1972 (b) 1982
(c) 1992 (d) 2001

Ans. (b) : राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना का ड्राफ्ट 1982 में भारतीय वन्यजीव बोर्ड की 15वीं मीटिंग में प्रथम राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना का ड्राफ्ट तैयार किया गया।

2. प्रथम राष्ट्रीय वन्य जीव कार्ययोजना को कब अपनाया गया?

(a) 1982 (b) 1992
(c) 1983 (d) 1972

Ans. (c) : प्रथम राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना को 1983 में अपनाया गया। इस कार्य योजना का ड्राफ्ट भारतीय वन्यजीव बोर्ड की 15वीं मीटिंग में तैयार किया गया था।

3. प्रथम राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना को किस संक्षिप्त नाम से जाना जाता है?

(a) NWAP-2
(b) NWAP-1
(c) NWAP-3
(d) NWAP-4

Ans. (b) : प्रथम राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना का संक्षिप्त नाम NWAP-1 है जो National Wildlife Action Plan का संक्षिप्त रूप है। NWAP के अभी तक 3 चरण आ चुके हैं। यह कार्य योजना वन्यजीवों के प्रभावी संरक्षण के उद्देश्य से निर्मित की गई थी।

4. प्रथम राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना की समयावधि क्या है?

(a) 1983-2001
(b) 1980-1998
(c) 2007-2012
(d) 2002-2016

Ans. (a) : प्रथम राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना की समयावधि 1983-2001 है। इस अवधि के दौरान वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो रणनीतियाँ और कार्य बिन्दु तय किए गए उनमें से कुछ आज भी महत्वपूर्ण हैं।

द्वितीय कार्य योजना - 2002-2016
तृतीय राष्ट्रीय कार्ययोजना - 2017-2031

5. राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

(a) वन क्षेत्रों को संरक्षित एवं आरक्षित वर्गों में विभक्त करना।
(b) वन क्षेत्रों का विकास करना
(c) जनजातीय क्षेत्रों का विकास करना
(d) वन्यजीवों एवं जैवविविधता का संरक्षण करना

Ans. (d) : राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों एवं जैव-विविधता का संरक्षण करना है। वहीं वन क्षेत्रों का विकास एवं वनों की संरक्षित एवं आरक्षित वर्गों में विभक्त करना राष्ट्रीय वन नीति के प्रमुख लक्ष्य है।

6. द्वितीय वन्यजीव कार्य योजना की समयावधि क्या है?

(a) 1980-2001 (b) 1985-2012
(c) 2002-2016 (d) 2007-2012

Ans. (c) : द्वितीय राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना की समयावधि 2002-2016 तक रही। वहीं प्रथम राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना की अवधि 1983-2001 के मध्य थी।

7. राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना-2 का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के अंतर्गत होता है?

(a) गृह मंत्रालय
(b) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
(c) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (b) : राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना-2 का क्रियान्वयन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। यह कार्य योजना भारतीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा 2002 में अपनाई गई थी।

8. वर्तमान में कौन सी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना चल रही है?

(a) दूसरी (b) तीसरी
(c) चौथी (d) पांचवीं

Ans. (b) : वर्तमान में राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना का तीसरा संस्करण कार्यरत है, जिसकी समयावधि 2017 से 2031 के मध्य है। इस कार्य योजना के अंतर्गत वर्तमान के वन्य जीवों की चुनौतियों के निराकरण का लक्ष्य रखा गया है।

9. ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम का सम्बन्ध है-

(a) वन्यजीवों के अवैध तस्करी पर लगाम हेतु

(b) वन्यजीवों के विस्थापन हेतु

(c) वनों में रहने वाले आदिवासियों हेतु

(d) विश्व में ग्लोबलाइजेशन हेतु

Ans. (a) : ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक के नेतृत्व में चल रहा एक ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम है, जिसका उद्देश्य वन्य जीवों की अवैध तश्करी पर लगाम लगाने हेतु वन्यजीव संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना है।

10. ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कितने वर्षों के लिये चलाया जा रहा है?

(a) 5 वर्ष (b) 7 वर्ष

(c) 10 वर्ष (d) 2 वर्ष

Ans. (b) : ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम 7 वर्षों के लिये चलाया जा रहा है, जिसे जून 2015 में ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी GEF द्वारा लांच किया गया था।

11. तीसरी वन्यजीव कार्ययोजना का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे?

(a) डॉ. हर्षवर्धन (b) जे.सी. काला

(c) अनुराग शर्मा (d) अश्वनी कुमार

Ans. (b) : तीसरी वन्यजीव कार्ययोजना का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष जे.सी. काला थे। तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना की अवधि 2017 से 2031 के मध्य है। वहीं प्रथम वन्य जीव कार्य योजना की समयावधि 1983 से 2001 के मध्य थी।

12. जे.सी. काला समिति जिसने तृतीय वन्यजीव कार्य योजना का मसौदा तैयार किया, उसमें कितने सदस्य थे?

(a) 15 (b) 11

(c) 9 (d) 12

Ans. (d) : द्वितीय राष्ट्रीय कार्य योजना (NWAP-2) जिसकी समयावधि 2002-16 के मध्य थी। इस नीति की समीक्षा और इसके स्थान पर नई प्रभावी वन्यजीव संरक्षण योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए जे.सी. काला की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय समिति का गठन किया गया।

13. NWAP-3 (राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना) की निम्नलिखित से कौन सी विशेषताएं नहीं हैं?

(a) यह कार्य योजना तटीय, समुद्री और अंतर्देशीय पारिस्थितिक तंत्र में संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण पर बल देती है।

(b) यह, वन्य जीव संरक्षण प्रक्रिया में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सम्मिलित नहीं करता है।

(c) यह योजना, वन्यजीवों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को पहचान रही है।

(d) यह योजना, पशु मानव संघर्ष एवं वन्यजीवों पर इसके प्रभाव के बारे में बात करती है।

Ans. (b) : राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना (NWAP-3) तटीय, समुद्री और अंतर्देशीय पारिस्थितिक तंत्र में संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण पर बल देने के साथ, वन्यजीवों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को चयनित करती है। इसके अतिरिक्त यह कार्य योजना पशु मानव संघर्ष एवं वन्यजीवों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों पर भी चर्चा करती है। साथ ही यह कार्य योजना वन्यजीव संरक्षण प्रक्रिया में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी सम्मिलित करती है।

14. तृतीय राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना में कितने क्षेत्रों (थीम) को रेखांकित किया गया है?

(a) 12 (b) 15

(c) 17 (d) 5

Ans. (c) : तृतीय राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (NWPA-3) जो 2017 से 2031 तक की अवधि के लिए होगी। इसमें 17 क्षेत्रों (थीम) को रेखांकित किया गया है। इस कार्य योजना में वन्यजीवों और उनके आवासों के एकीकृत प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया गया है।

15. तृतीय राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के मुख्य उद्देश्यों में कौन सम्मिलित नहीं है?

(a) यह योजना आनुवांशिक विविधता और सतत विकास के संरक्षण पर केंद्रित है।

(b) पहली बार वन्यजीव प्रबंधन योजना को जलवायु परिवर्तन से भी जोड़कर देखा गया है।

(c) इस कार्य योजना में 5 घटक एवं 17 थीम को सम्मिलित किया गया है।

(d) मानव-पशु संघर्ष पर ध्यान नहीं दिया गया है।

Ans. (d) : तृतीय राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना में मानव-पशु संघर्ष को कम करने पर बल दिया गया है तथा यह योजना आनुवांशिक विविधता तथा सतत विकास के संरक्षण पर केंद्रित है। साथ ही इस कार्य योजना में पहली बार वन्यजीव प्रबंधन योजना को जलवायु परिवर्तन से भी संलग्न किया गया है एवं इस योजना में 5 घटक एवं 17 थीम को सम्मिलित किया गया है।

अध्याय

3 राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार

1. राष्ट्रीय उद्यान (National Park):-

- राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1972 के प्रावधानों के तहत की गई है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम - 1972 के अनुसार **राज्य सरकार** ऐसे क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है, जो पारिस्थितिकी तंत्र में जीव-जन्तुओं, वनस्पतियों, भू-आकृतिक एवं जलीय महत्त्व के हों और जिनका संरक्षण किया जाना अत्यंत आवश्यक हो।
- राष्ट्रीय उद्यान एक विस्तृत क्षेत्रफल पर फैला हुआ होता है, जिसमें कई पारितंत्र पाये जाते हैं। इनका सीमांकन पेड़-पौधों तथा पशु-पक्षियों के संरक्षण के लिए होता है। राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव को उनके प्राकृतिक आवासों में सुरक्षित रखा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में कटाई, चराई तथा आवास को नुकसान पहुँचाने वाली किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाती है। राष्ट्रीय उद्यान घोषित किये गये क्षेत्र में वन्यजीवों के अलावा अन्य पशुधन (livestock) के चारण तथा प्रवेश पर प्रतिबंध होता है, सिवाय इसके कि किसी प्राधिकृत व्यक्ति (Authorise Person) द्वारा राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश करने हेतु उस पशुधन का प्रयोग वाहन के रूप में न किया गया हो। ध्यातव्य है कि राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य वन्यजीवों को मानव हस्तक्षेप से मुक्त सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय उद्यानों में निम्नलिखित कार्य **पूर्णतः वर्जित** होते है-

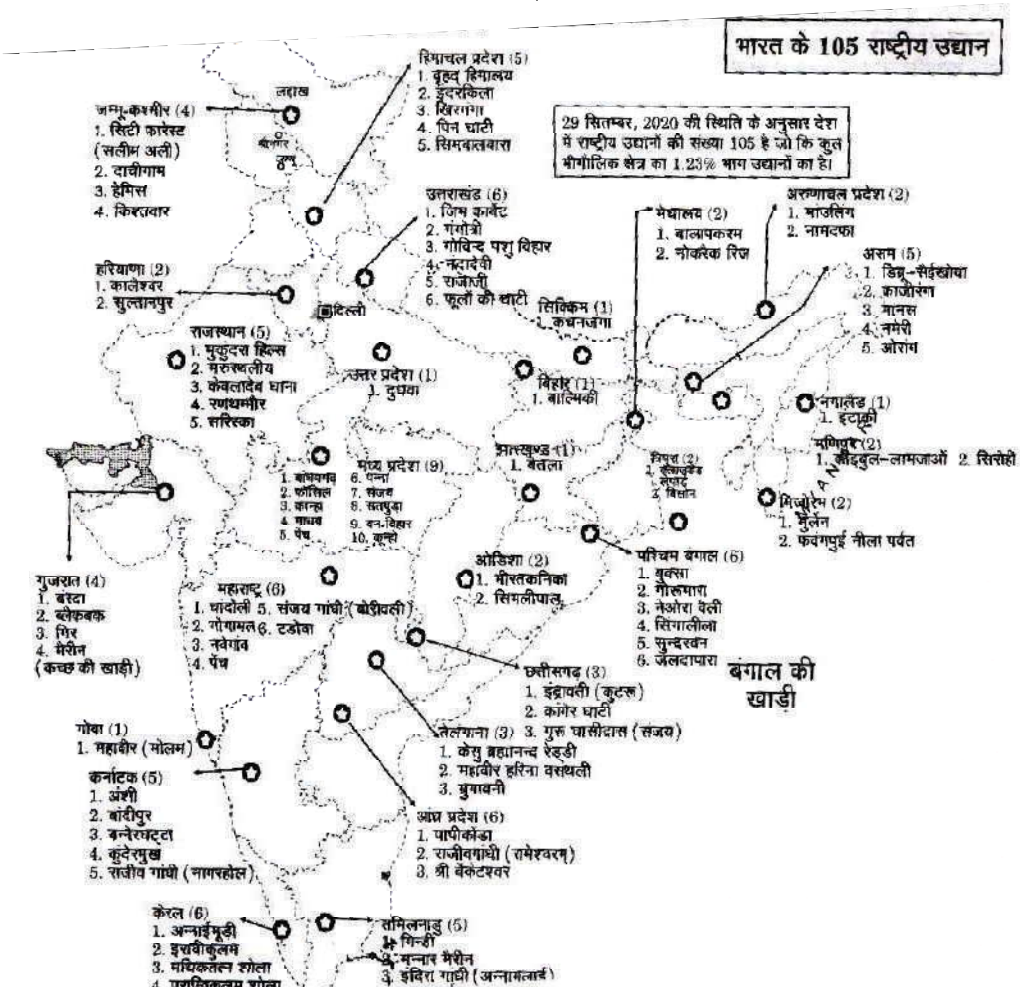

1. वन्य जीवों का शिकार करना, उन्हें मारना/ बंदी बनाना।
2. किसी भी वन्य जंतु के आवास को नष्ट करना या अतिक्रमण करना।
3. पौधों का विनाश तथा उनका संग्रह करना।
4. राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में परिवर्तन करना।
5. हथियारों का प्रयोग करना।

2. भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान (Main National Parks of India)

राष्ट्रीय उद्यान का नाम	किस जिले में विस्तृत है?	संबंधित राज्य
• जिम कॉर्बेट पार्क	नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल	उत्तराखण्ड
• कान्हा	मांडला, बालाघाट, डिंडोरी	मध्य प्रदेश
• तड़ोबा	चन्द्रपुर	महाराष्ट्र
• माधव	शिवपुरी	मध्य प्रदेश
• बांधवगढ़	उमरिया, कटनी	मध्य प्रदेश
• बांदीपुर	कामराजनगर,मैसूर	कर्नाटक
• बन्नेरघट्टा	बंगलौर	कर्नाटक
• काजीरंगा	गोलाघाट, नागांव, सोनितपुर	असम
• पेंच (इंदिरा प्रियदर्शिनी)	सिवनी, छिंदवाड़ा	मध्य प्रदेश
• पेंच (जवाहर लाल नेहरू)	नागपुर	महाराष्ट्र
• नेवगांव	भंडारा (गोंदिया)	महाराष्ट्र
•गूगामल	अमरावती	महाराष्ट्र
• गिर	जूनागढ़	गुजरात
• ब्लैकबक (वेलवादर)	भावनगर	गुजरात
• गुंडी	चेन्नई	तमिलनाडु
• हजारीबाग	हजारीबाग	झारखण्ड
• दुधवा	लखीमपुर खीरी	उत्तर प्रदेश
• केबुल लामजाओ	बिष्णुपुर	मणिपुर
• कंचनजंगा	नार्थ सिक्किम	सिक्किम
• मोल्लेम	उत्तरी गोवा	गोवा
• इरावीकुलम	इडुक्की	केरल
• वंसदा	नवसारी	गुजरात
• वन विहार	भोपाल	मध्य प्रदेश
• सिमलीपाल	मयूरभंज	ओडिशा
• रणथम्भौर	सवाई माधोपुर	राजस्थान
• मन्नार की खाड़ी (समुद्री राष्ट्रीय उद्यान)	रामनाथपुरम, तूतीकोरिन	तमिलनाडु
• हेमिस	लेह	लद्दाख
• दाचिगाम	श्रीनगर, पुलवामा	जम्मू-कश्मीर
• किश्तवाड़	डोडा, किश्तवाड़	जम्मू-कश्मीर
• संजय (गुरू घासीदास)	सरगुजा,कोरिया	छत्तीसगढ़
• केवलादेव घाना	भरतपुर	राजस्थान
• सतपुड़ा	होशंगाबाद	मध्य प्रदेश
• संजय	सिधी	मध्य प्रदेश
• पन्ना	पन्ना, छतरपुर	मध्य प्रदेश
• फूलों की घाटी	चमोली	उत्तराखण्ड
• नंदा देवी	चमोली	उत्तराखण्ड
• इंद्रावती	दंतेवाड़ा	छत्तीसगढ़
• कांगेर घाटी	बस्तर	छत्तीसगढ़
• पेरियार	इडुक्की, क्विलोन	केरल
• सरिस्का	अलवर	राजस्थान
• सिरोही	इम्फाल	मणिपुर
• कच्छ की खाड़ी	जामनगर	गुजरात
• जीवाश्म	मंडला	मध्य प्रदेश
• महात्मा गांधी (वांदूर)	अंडमान	अंडमान-निकोबार
• नामदफा	चंगलांग	अरूणाचल प्रदेश
• राजाजी	देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल हरिद्वार	उत्तराखण्ड
• संजय गांधी (बोरीवली)	थाणे, मुम्बई उपनगर	महाराष्ट्र
• सुंदरबन	उत्तरी एवं दक्षिणी 24 परगना	पश्चिम बंगाल
• ग्रेट हिमालयन	कुल्लू	हिमाचल प्रदेश
• शांत घाटी (साइलेंट वैली)	पलक्काड़	केरल
• बलफक्रम	साउथ गारो हिल्स	मेघालय
• नोकरेक	ईस्ट गारो हिल्स	मेघालय
• बेतला	लातेहर	झारखण्ड
• नेवरा घाटी	दार्जिलिंग	पश्चिम बंगाल
• सिंगालीला	दार्जिलिंग	पश्चिम बंगाल
• मौलिंग	अपर सियांग	अरुणाचल प्रदेश
• साउथ बटन आइलैंड	अंडमान	अंडमान-निकोबार
• अंशी	उत्तर कन्नड़	कर्नाटक
• कुद्रेमुख	चिकमंगलूर, उडपी, दक्षिण कनाडा	कर्नाटक
• गुगामल	अमरावती	महाराष्ट्र
• सैंडल पीक	अंडमान	अंडमान-निकोबार
• मिडिल बटन आइलैंड	अंडमान	अंडमान-निकोबार

• माउंट हैरियट	अंडमान	अंडमान-निकोबार
• पिन वैली	लाहौल-स्पीति	हिमाचल प्रदेश
• भितरकनिका	केन्द्रपाड़ा	ओडिशा
•राजीव गांधी (नागरहोल)	मैसूर एवं कोडागू	कर्नाटक
• इंदिरा गांधी (अन्नामलाई)	कोयम्बटूर	तमिलनाडु
• वाल्मीकि	पश्चिमी चम्पारन	बिहार
• श्री वेंकटश्वर	चित्तूर, कुड़प्पा	आंध्र प्रदेश
• सुल्तानपुर	गुडगांव	हरियाणा
• गंगोत्री	उत्तर काशी	उत्तराखण्ड
• गोविन्द	उत्तरकाशी	उत्तराखण्ड
• मानस	भारपेटा, बोगइगांव	असम
• मुदुमलाई	नीलगिरि	तमिलनाडु
• मुकुर्थी	नीलगिरि	तमिलनाडु
• मुर्लेन	चम्फई	मिजोरम
• फावंगपुई ब्लू माउंटेन	लवंगल्लाई	मिजोरम
• मोल्लेम (भगवान महावीर)	नार्थ गोवा	गोवा
• सलीम अली (सिटी फॉरेस्ट)	श्रीनगर	जम्मू-कश्मीर
• बुक्सा	जलपाइगुडी	पश्चिम बंगाल
• गलाथिया	निकोबार	अंडमान -निकोबार
• कैम्पबेल खाड़ी	निकोबार	अंडमान -निकोबार
• गोरूमारा	जलपाइगुड़ी	पश्चिम बंगाल
• सरिस्का	अलवर	राजस्थान
• डेजर्ट नेशनल पार्क	बाड़मेर, जैसलमेर	राजस्थान
• इटांकी	दीमापुर	नागालैण्ड
• कासु ब्रम्हानंद रेड्डी	हैदराबाद	तेलंगाना
• मरुगावानी	रंगा रेड्डी	तेलंगाना
• महावीर हरिना वनस्थली	रंगा रेड्डी	तेलंगाना
• रानी झाँसी (समुद्री राष्ट्रीय उद्यान)	अंडमान	अंडमान -निकोबार
• नामेरी	सोनितपुर	असम
• राजीव गांधी (ओरंग)	दरांग, सोनितपुर	असम
• डिब्रू-सैखोआ	तिनसुकिया एवं डिब्रूगढ़	असम
• कालेसर	यमुना नगर	हरियाणा
• मैथिकेट्टन शोला	इडुक्की	केरल
• अनाइमुडी शोला	इडुक्की	केरल
• पंबाडम शोला	इडुक्की	केरल
• चंदोली	सांगली,सतारा, कोल्हापुर, रत्नागिरि	महाराष्ट्र
• दर्राह	कोटा	राजस्थान
• राजीव गाँधी (रामेश्वरम)	कड़प्पा	आंध्र प्रदेश
• मुकुंद्रा हिल्स	कोटा, चित्तौड़गढ़	राजस्थान
• क्लाउडेड लेपर्ड	पश्चिमी त्रिपुरा	त्रिपुरा
• बिशन (राजबारी)	दक्षिणी त्रिपुरा	त्रिपुरा
• पापिकोंडा	ईस्ट व वेस्ट गोदावरी	आंध्र प्रदेश
• इंदरकिल्ला	कुल्लू	हिमाचल प्रदेश
• खीरगंगा	कुल्लू	हिमाचल प्रदेश
• सिंबलबारा	सिरमौर	हिमाचल प्रदेश
• जलदापारा	जलपाईगुड़ी	पश्चिम बंगाल

नोट-अमेरिका का **यलोस्टोन नेशनल पार्क** विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना वर्ष 1872 में की गई थी। यह नेशनल पार्क सं.रा.अमेरिका के मोंटाना, व्योमिंग तथा इडाहों राज्यों में फैला है। 'ओल्ड फेथफुल गीजर' इसी नेशनल पार्क में स्थित है।

2.(i) **जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान –** यह भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना वर्ष 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से की गई थी। वर्ष 1957 में महान प्रकृतिवादी, संरक्षणवादी स्वर्गीय जिम कार्बेट की याद में यह नेशनल पार्क स्थापित किया गया। हिमालय की तलहटी में स्थित यह नेशनल पार्क 520.8 वर्ग किमी. क्षेत्र में विस्तृत है। इसका 312.86 वर्ग किमी. क्षेत्रफल पौड़ी गढ़वाल जिले में और शेष 208.14 वर्ग किमी. क्षेत्रफल नैनीताल जिले में आता है। यहाँ पाए जाने वाले घने नम पर्णपाती वनों में साल, हल्दु, पीपल, रोहिनी तथा आम के पेड़ मुख्य हैं। **रामगंगा नदी** पार्क के मध्य से होकर बहती है। **कोसी नदी** भी इस नेशनल पार्क से होकर बहती है। इसी उद्यान में वर्ष 1973 में सर्वप्रथम 'प्रोजेक्ट टाइगर' की शुरूआत की गई थी।